मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2011 (फाल्गुन 10, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश में संविदा नियुक्ति पर रोक लगाई जाने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में मंगल भवनों का निर्माण न किए जाने,
(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह - सनावद बायपास मार्ग न होने से दुर्घटनाएं होने,
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती किए जाने तथा
(5) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य ने कालापीपल क्षेत्र की नेवज नदी पर पुल न होने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 तथा
(ख) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10
पटल पर रखे।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने -
(i) (क) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2008-09
(ख) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौबीसवां एवं पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 तथा
(ii) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2005-06 पटल पर रखे।

(3) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

(4) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का षष्टम् वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के नागदा स्थित लैक्सेस उद्योग से गैस रिसाव होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले के ग्राम धमनार में अनेक मोरों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री एवं डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सभापति ने प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) नगर पंचायत कैमोर के अमरैया पार माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने ,

(ख) ग्राम खितौली के माध्यमिक कन्या शाला का उन्नयन किये जाने,

(ग) खलवारा बाजार की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम बरमानी की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ङ) शासकीय हाईस्कूल मझगवां के स्थान पर ग्राम पटोरी में हाई स्कूल खोले जाने,

(च) नगर पंचायत विजयराघोगढ़ के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(छ) ग्राम सिंघवाड़ा के सीतापुर मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(ज) ग्राम टिकरिया के आदिवासी मोहल्ले में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(झ) ग्राम कछडारी में नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने,

(2) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम रुनाहा में नल-जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके,सदस्य की बैतूल जिले की सारणी मुख्य मार्ग से उत्कृष्ट विद्यालय तक सीसी रोड का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में सोनिया गांधी कालोनी से चाणक्यपुरी तक सड़क का निर्माण कराये जाने तथा

(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल शहर के नरेला क्षेत्र में शासकीय चिकित्सालय खोले जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

7. वित्त मंत्री का प्रश्न में संशोधन संबंधी वक्तव्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने दिनांक 26 जुलाई, 2010 को पूछे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न संख्या 129 (क्रमांक 2120) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुईं।

8. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2011-2012 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम

सभापति महोदया द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2011 अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच शनिवार, दिनांक 5 मार्च, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार दिनांक 14 मार्च, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

11. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य ने दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर, दिनांक 28 फरवरी, 2011 को हुई चर्चा के क्रम में श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं"

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर निम्न सदस्यों के भी भाषण हुए :-

(16) श्री अजय सिंह
(17) श्री सुदर्शन गुप्ता
(18) श्री बृजेन्द्र सिंह
(19) श्री अलकेश आर्य

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(20) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(21) श्री दिलीप जायसवाल

(1.01 से 2.38 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(22) श्रीमती साधना स्थापक
(23) श्री बृजमोहन धूत
(24) श्री हेमराज कल्पोनी
(25) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(26) श्री जेबियर मेड़ा
(27) श्री राधेश्याम पाटीदार
(28) श्री श्रीकांत दुबे
(29) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(30) श्री नारायण सिंह पट्टा
(31) श्रीमती ललिता यादव
(32) श्री सुखदेव पांसे
(33) श्री बृजराज सिंह
(34) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

12. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2011 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा वर्ष 2011-12 के आय व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011)	2 घण्टे

वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या, सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	निर्धारित समय
(1)	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1-सामान्य प्रशासन 2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 38-आयुष 48-नर्मदा घाटी विकास 65-विमानन 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) 73-चिकित्सा शिक्षा.	2 घण्टे
(2)	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 53-अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	1 घण्टा 30 मिनट
(3)	श्री राघवजी, मंत्री	6-वित्त 7-वाणिज्यिक कर 31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61-बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	1 घण्टा (वित्त को छोड़कर)
(4)	श्री जयंत मलैया, मंत्री	21-आवास एवं पर्यावरण 23-जल संसाधन 40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	1 घण्टा 30 मिनिट
(5)	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 46-विज्ञान और टेक्नॉलाजी 50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण. 56-ग्रामोद्योग 69-सूचना प्रौद्योगिकी	1 घण्टा

(6)	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 30-ग्रामीण विकास 34-समाज कल्याण 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62-पंचायत 74-त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घण्टे
(7)	श्री सरताज सिंह, मंत्री	10-वन	1 घण्टा
(8)	डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 28-राज्य विधान मण्डल 29-विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा 30 मिनिट
(9)	कुंवर विजय शाह, मंत्री	33-आदिम जाति कल्याण 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 49-अनुसूचित जाति कल्याण 64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1 घण्टा 30 मिनिट
(10)	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	5-जेल 36-परिवहन.	1 घण्टा
(11)	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	14-पशुपालन 16-मछलीपालन 63-अल्पसंख्यक कल्याण 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण 76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	1 घण्टा
(12)	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री	26-संस्कृति 32-जनसंपर्क 44-उच्च शिक्षा 47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व. 70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	1 घण्टा 30 मिनिट
(13)	श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), मंत्री	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1 घण्टा
(14)	श्रीमती अर्चना चिटनीस, मंत्री	27-स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) 77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर).	1 घण्टा

(15)	श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री	18-श्रम	30 मिनिट
(16)	डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, मंत्री	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54-कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा	1 घण्टा
(17)	श्री गौरीशंकर चतुर्भज बिसेन, मंत्री	17-सहकारिता 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	1 घण्टा 30 मिनिट
(18)	श्री तुकोजी राव पवार, मंत्री	37-पर्यटन 43-खेल और युवक कल्याण.	1 घण्टा
(19)	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 35-पुनर्वास 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	1 घण्टा 30 मिनिट
(20)	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	3-पुलिस 4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1 घण्टा 30 मिनट
(21)	श्री पारस जैन, राज्यमंत्री	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	1 घण्टा
(22)	श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री	55-महिला एवं बाल विकास.	1 घण्टा
(23)	श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री	12-ऊर्जा 25-खनिज साधन	1 घण्टा 30 मिनट

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि -

(1) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समापन दिनांक 3 मार्च, 2011 को किया जाय और उसके पश्चात् वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का आरंभ दिनांक 3 मार्च, 2011 को करते हुए उसका समापन दिनांक 7 मार्च, 2011 को किया जाए।

(2) सत्रावधि में आने वाले शुक्रवार दिवसों में भोजनावकाश न रखा जाय एवं इस अवधि में अशासकीय कार्य संपादित किए जाएं।

(3) दिनांक 7 से 17 मार्च, 2011 तक सभा की बैठकें सायं 6 बजे तक रखी जाएं तथा

(4) वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के विनियोग पर विचार एवं पारण दिनांक 28 मार्च, 2011 को किया जाए।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक तथा वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2011 (फाल्गुन 12, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 मार्च, 2011